

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 224

प्रकरण क्रमांक -SM-URP-2024-02359

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध मेसर्स छ.ग. इन्वेस्टमेंट लिमि., डायरेक्टर-श्री सौरभ राठी,
पता-देवेन्द्र नगर, साई नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
12/06/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- रजिस्ट्रार, भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि मेसर्स छ.ग. इन्वेस्टमेंट लिमि. द्वारा-श्री सौरभ राठी, पिता-श्री कमल किशोर राठी द्वारा खसरा-349/25 एवं अन्य खसरा नंबर, कुल रकबा 0.399 हेक्टेयर भूखंड को विकसित किये जाने हेतु विकास अनुज्ञा दिनांक 05.09.2018 को प्राप्त की गई है, किंतु भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-03 के अधीन पंजीयन हेतु कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे अधिनियम की धारा-59 का उल्लंघन हुआ है, जो कि दंडनीय है।</p> <p>प्राधिकरण द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करते हुए जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। अनावेदक द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में पंजीयन नंबर-PCGRERA270121001187 के रूप में पंजीकृत किया गया है और सक्षम प्राधिकारी से दिनांक 30.06.2022 को प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा चुका है।</p> <p>- प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट का छ.ग. रेरा में दिनांक 27.01.2021 को पंजीकृत किया जा चुका है, जिसका पंजीयन क्रमांक-PCGRERA270121001187 है। अतः प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p> <p>- आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे।</p> <p>- प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे।</p> <p>सही / - (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही / - (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	